

Banking / RBI Ombudsman Complaint Drafter

दस्तावेज प्रकार : पत्र / नोटिस · तैयार किया गया 13 Oct 2026

यह गाइड बताती है कि यह टूल क्या बनाता है, उसका उपयोग कैसे करें, और किन बातों का ध्यान रखें। टूल का वास्तविक आउटपुट (ड्राफ्ट/रिपोर्ट) टूल पेज पर बनता है।

पृष्ठभूमि

RBI एकीकृत लोकपाल योजना के अंतर्गत बैंक, NBFC या भुगतान-प्रणाली प्रदाता के विरुद्ध शिकायत — गलत शुल्क, विफल/विवादित लेनदेन, अनुचित ऋण/क्रेडिट-कार्ड व्यवहार, या गलत धोखाधड़ी-देयता जैसी सेवा-न्यूनता हेतु — इकाई को अनिवार्य पहली शिकायत के बाद, तथ्य व राहत सहित यह टूल तैयार करता है।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

RBI लोकपाल योजना की पूर्व-शर्तें पुष्ट कर, तथ्य, न्यूनता, लागू RBI नियम व राहत सहित शिकायत तैयार करना।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

तैयार शिकायत व राहत का उपयोग इकाई को अनिवार्य पहली शिकायत के बाद RBI CMS पोर्टल पर दाखिल करने, लागू RBI नियम उद्धृत करने, और आवश्यक होने पर अपीलीय प्राधिकारी तक escalate करने के लिए करें।

यह किसे दिया जाता है

CMS पोर्टल (cms.rbi.org.in) के माध्यम से RBI लोकपाल ; इकाई (बैंक/NBFC/PSP) प्रतिवादी ; आगे escalation पर अपीलीय प्राधिकारी।

कैसे जमा करें / दाखिल करें

इकाई को पूर्व लिखित शिकायत और 30-दिन/अस्वीकृति प्रतीक्षा के बाद RBI CMS पर शिकायत तथ्य, न्यूनता, आश्रित RBI नियम व व्याज सहित राहत के साथ दाखिल करें।

इसकी जाँच किससे कराएँ

सामान्यतः पेशेवर आवश्यक नहीं ; बड़े अनधिकृत-लेनदेन या धोखाधड़ी-देयता विवाद हेतु वकील उपयुक्त।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

लोकपाल इकाई को पूर्व शिकायत व 30-दिन/अस्वीकृति प्रतीक्षा माँगता है, और अन्य मंच में लंबित मामले बाहर रखता है ; सीमित-देयता रिपोर्टिंग-समय नियम शीघ्र रिपोर्ट करने वाले ग्राहक की रक्षा करता है। यह मसौदा-सहायता है।

साथ के दस्तावेज

इस टूल के लिए पोर्टल पर संबंधित दस्तावेज सूचीबद्ध नहीं हैं।

यह एआई-सहायित मार्गदर्शन है। किसी भी बाध्यकारी निर्णय से पहले योग्य पेशेवर से पुष्टि करें। शुल्क, प्राधिकरण और प्रक्रियाएँ राज्य और समय के अनुसार बदलती हैं — अपने राज्य के प्राधिकरण से सत्यापित करें।